अध्याय 8

पंचायती राज संस्थाओं की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियाँ

8.1 सर्वोत्तम कार्यप्रणालियो को दर्ज करना किसी विशिष्ट प्रक्रिया के परिणामों को समझने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। सुपरिभाषित संदर्भ के तहत् सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का प्राचलिक विश्लेषण उसकी सम्पूर्ण गतिशीलताओं को उजागर करती है। इस प्रकार की समझ उन प्रक्रियाओं को समुचित रूप से समायोजित करने/फेरबदल करने में सहायक होती है, जबकि कार्य को अन्य संदर्भ के तहत् दोहराया जा रहा हो।

8.2 पंचायती राज संस्थाओं की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि, सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता तथा उनके समग्र प्रदर्शन और अवरोधों सहित कार्य निष्पादन और प्राप्त परिणामों के मध्य परीक्षण करने हेतु अनुसंधान और मूल्यांकन प्रतिवेदनों का दस्तावेजीकरण किया जाना आवश्यक है।

8.3 तृतीय राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण किया है जो स्वाभाविक रूप से अनुपम, नवाचारी और अनुकरणीय हैं। इस अध्याय में पंचायती राज संस्थाओं की कुछ सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का परीक्षण कर उन्हें प्रस्तुत किया गया है।

अन्य राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां

8.4 जनभागीदारी बढ़ाने के प्रयास - केरल

"जन साधारण अच्छी तरह जानता है कि उनके लिए क्या अच्छा है", इस विश्वास पर आधारित जन योजना अभियान का उददेश्य सतत् विकास का प्रादर्श प्राप्त करना और योजना तथा क्रियान्वयन की प्रक्रिया में जनभागीदारी से स्थानीय सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण करना है।

प्रथम वार्षिक योजना, एक वर्षीय लंबी नियोजन प्रक्रिया का परिणाम थी, जिसमें छः चरण थे -

चरण 1-ग्राम सभा की बैठक- ग्राम, वार्ड, शहरों से लगे हुए गांव में 14149 स्थानीय सभाएं की गई। जनप्रतिनिधियों, स्वैच्छिक सक्रिय संगठनों को ग्राम सभा/वार्ड सभा का आयोजन करने, विकास के मुद्दों पर छोटे-छोटे समूहों में चर्चा कर समाधान प्रस्तुत करने हेतु प्रशिक्षित किया गया।

चरण 2- पंचायत स्तरीय बैठक - समुदाय के सदस्यों द्वारा विकास से संबंधित समस्याओं और उसके समाधान के संबंध में पंचायत स्तर पर चर्चा की गई। स्थानीय निकाय के द्वारा उक्त चर्चा पर आधारित एक विस्तृत विकास प्रतिवेदन तैयार कर, विकास के मुद्दे और संसाधन की उपलब्धता का विश्लेषण किया गया।

चरण 3- कार्यदल का गठन- वार्षिक कार्य परियोजना तैयार करने के लिए, उक्त बैठकों में विषय विशेषज्ञों का चुनाव किया गया।

चरण 4- योजना प्रलेख - स्थानीय स्वशासी निकायों के द्वारा बैठक आयोजित कर, शासन द्वारा एवं स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वार्षिक कार्य परियोजनाओं के प्रलेखों को अंतिम रूप दिया गया।

चरण 5- जनपद एवं जिला पंचायत योजना- जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा नीचे से प्राप्त योजना प्रलेखों को संवर्धित एवं परिमार्जित किया गया।

चरण 6- जिला योजना समिति- स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त योजना प्रस्ताव की समीक्षा जिला योजना समिति करती है। समिति यह देखती है कि प्रस्ताव में आवश्यक तकनीकी अनुसंशाएं एवं गाईडलाईन का पालन किया गया है या नहीं। जिला योजना समिति के अनुमोदन के उपरांत ही योजना के लिए कोष उपलब्ध कराया जाता है। योजना निर्माण के विभिन्न चरणों के तरह ही योजना का क्रियान्वयन भी विभिन्न चरणों में किया जाता है। जैसे- ग्राम सभा में

हितग्राही का चयन करना, एक हितग्राही समिति का निर्माण करना जो कार्य की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करती है जिससे पूरी प्रक्रिया में जनभागीदारी और पारदर्शिता रहती है।

प्रभाव - उपरोक्त कार्यप्रणाली में प्रत्येक जन सामान्य की आवाज को भी महत्व दिया जाता है। इससे सार्वजनिक सेवा प्रदाय का स्तर अच्छा होता है। आम जनता को अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति एवं अन्य तत्काल महत्व के विषयों पर चर्चा का अवसर मिलता है।

8.5 जीपीएस मोबाईल आधारित गृह निगरानी एवं निधि विमुक्तिकरण योजना - कर्नाटक

वर्ष 2000 में राजीव गांधी ग्रामीण आवास निगम मर्यादित का गठन केन्द्र व राज्य की योजनाओं के अंतर्गत, सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने के विशेष प्रयोजन से किया गया। कर्नाटक राज्य की सभी 5628 ग्राम पंचायतों में सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से स्थल का चुनाव, हितग्राहियों का चयन एवं हितग्राहियों के खाते में राशि का प्रत्यक्ष अंतरण सुनिश्चित किया गया।

आवासहीन, भूमिहीन, झुग्गीझोपड़ी निवासियों की अद्यतन सूची उनके फोटो सहित ऑनलाईन, ग्राम पंचायत में प्रस्तुत की गई। इस सूची को समस्त ग्रामवासियों को देखने व इस पर चर्चा करने का अवसर दिया गया तथा ग्रामवासियों के अनुमोदन से यह सूची पारित की गई। समस्त हितग्राहियों के प्रकरण की अद्यतन स्थिति, राशि का अंतरण, उन्हे मकान आबंटन आदि समस्त जानकारियां पारदर्शी तरीके से समय-समय पर एसएमएस के द्वारा उपलब्ध कराई गई।

राशि का सही उपयोग एवं वास्तव में परिसंपत्ति के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए अनेक स्तरों पर जांच और प्रमाणीकरण को योजना में शामिल किया गया, जिससे लगभग 13 लाख मकान पूर्ण किए गए एवं लगभग रू. 1800 करोड़ 9 लाख हितग्राहियों को बिना किसी विलंब के सफलतापूर्वक उनके खातों में हस्तांतरित की गई जबकि इस कार्य हेतु कुल 40 कर्मचारी ही लगाए गए थे।

छत्तीसगढ़ की पंचायती राज संस्थाओं की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां

8.6 राज्य की पंचायती राज संस्थाओं ने बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता, स्वयं के राजस्व में वृद्धि, अपने कार्यों में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन जैसे- जल क्षेत्र, सार्वजनिक भूमि, वन और उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

8.7 राजनांदगांव और सरगुजा जिलों में ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न स्रोतों से करों और शुल्कों के संग्रहण के लिए स्व-सहायता समूहों और समुदाय आधारित संगठनों के साथ भागीदारी जैसी विभिन्न नवाचारी विधियों को अपनाया गया है। इस प्रक्रिया से इन जिलों में ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व के आधार में वृद्धि देखने में आई है।

8.8 कोरिया जिले में विशेषकर सोनहत जनपद पंचायत की कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा खुले में शौच के विरूद्ध व्यापक जन-जागरण द्वारा लोगों को जागरूक एवं प्रेरित किया गया। इस जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों द्वारा अनेक गांवों में पेय जल आपूर्ति कार्यक्रम को भी क्रियान्वित किया गया।

नवाचारी प्रयास के अंतर्गत "स्वच्छता चैम्पियन" मोनिका इजहारदार ने अपनी "नोनी टोली" (बच्चों का समूह) के द्वारा 107 गाँवों में लोगों को खुले में शौच न जाने के लिए प्रेरित किया।

8.9 ऊपर उल्लेखित विशिष्ट मामलों के साथ ही राज्य के विभिन्न भागों का दौरा करते समय पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और पदाधिकारियों से विचार विमर्श के दौरान आयोग के समक्ष कुछ अन्य तथ्य भी प्रकाश में आए हैं, जैसेः-(i) कुछ विशेष मामलों में पंचायती राज संस्थाओं ने अच्छा कार्य किया है और कोषों और कार्मिकों की कमी जैसी विभिन्न समस्याओं के बावजूद अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं।

(ii) कुछ प्रकरणों में कोषों के अधिक आबंटन और कार्मिकों के पर्याप्त प्रावधान के बावजूद पंचायती राज संस्थाएँ वांछित परिणाम की प्राप्ति में असफल रही हैं।

8.10 स्थानीय समूहों और समुदाय आधारित संगठन (CBO) तथा स्व-सहायता समूह (SHG) जैसे संगठनों की गतिशीलता के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व को बढ़ाने हेतु नए प्रयासों को उन ग्राम पंचायतों में प्रमुखता से पाया गया, जहाँ (अ) प्रणेतागण (पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यगण) सक्रिय हैं; (ब) समुदाय आधारित संगठन और स्व-सहायता समूह की उपस्थिति बेहतर है ; और (स) लोगों और प्रतिनिधियों के मध्य प्रभावी सामंजस्य है।

8.11 आयोग के ध्यान में आया है कि बिलासपुर और जाँजगीर-चांपा जैसे विकसित जिलों में पंचायती राज संस्थाओं और उनके स्वयं के राजस्व के बारे में लोगों की धारणा नारायणपुर, सरगुजा और कोरिया जैसे पिछड़े जिलों की तुलना में भिन्न है।

जशपुर जिला पंचायत द्वारा अपने स्वयं के राजस्व को गतिशील करना

8.12 जशपुर जिला पंचायत छत्तीसगढ़ के उत्तर-पूर्व भाग में स्थित है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह जिला पंचायत दो भागों में विभाजित है- (क) पहाड़ी क्षेत्र (उत्तर भाग- लोरोघाट कस्तूरा, नारायणपुर, बगीचा से लेकर सरगुजा जिला तक) और (ख) जिला पंचायत के दक्षिणी भाग में स्थित मैदानी क्षेत्र (नीचे का घाट) जिला पंचायत की उत्तर-दक्षिण की लंबाई लगभग 150 कि.मी. और इसकी पूर्व-पश्चिम की चौड़ाई लगभग 85 कि.मी. है। इसका कुल क्षेत्रफल 6,205 वर्ग कि.मी. है। जशपुर जिला पंचायत में 8 जनपद पंचायतें, 427 ग्राम पंचायतें एवं 6119 वार्ड हैं।

जिला पंचायत के तहत् ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों का स्वयं के राजस्व (करों एवं शुल्कों आदि) का संग्रहण वर्ष 2015-16 तक चिंता का विषय था। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के दौरान जिला पंचायत द्वारा जिले में ग्राम पंचायत के स्वयं के राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाए गए। इस प्रकार की पहल के परिणाम स्वरूप काँसाबेल जैसी अनेक ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बन गईं।

जिला पंचायत द्वारा जिले में ग्राम पंचायतों द्वारा करों की मांग बढ़ाने और संग्रहण संबंधी विभिन्न विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, पंचायत सचिवों और कराधान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण पश्चात् कर आधार के दस्तावेज बनाए गए। इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायतों को राजस्व के स्रोत की वास्तविक संभावना एवं संग्रहण हेतु कार्य योजना तैयार करने में सहायता मिली।

इस प्रक्रिया में ग्राम सभाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कई गांवों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व और इसमें वृद्धि करने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई, तथा लोगों को कराधान के बारे में जागरूक किया गया।

कर संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया के अध्ययन के लिए जिला पंचायत द्वारा यथोचित निगरानी तंत्र को लागू किया गया। प्रक्रिया की निगरानी हेतु जिला स्तरीय दल का गठन किया गया। प्रक्रिया की समीक्षा हेतु अनेक बैठकों का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत के लेखाओं की नियमित निगरानी के लिए भी एक दल का गठन किया गया।

इस पहल से जिले की ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व में वृद्धि के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। संग्रहित आँकड़े ग्राम पंचायतों के स्व-राजस्व में निरंतर हो रही वृद्धि को दर्शाते हैं। वर्ष 2014-15 में रू.

39.80 लाख से बढ़कर वर्ष 2016-17 में रू. 148.59 लाख का राजस्व संग्रहित हुआ, अर्थात् दो वर्षों में रू. 108.79 लाख की वृद्धि हुई। इस प्रवृत्ति से यह स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा की गई विशेष पहल से ग्राम पंचायतों के स्व-राजस्व की वृद्धि में सहायता मिली है। जिला पंचायत द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 में उनकी 427 ग्राम पंचायतों में से 105 ग्राम पंचायतों द्वारा शत-प्रतिशत कर वसूली की गई है।

8.13 सरगुजा जिला पंचायत - ग्राम पंचायतों के स्व-राजस्व में वृद्धि हेतु सामुदायिक सहभागिता :

सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। जिला पंचायत का मुख्यालय अम्बिकापुर में है। जिले के अंतर्गत 7 जनपद पंचायतें और 163 ग्राम पंचायतें हैं।

सरगुजा की लगभग 90% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। यह जिला अनाज, दाल, तिलहन, फलों और सब्जियों की खेती से संबद्ध है। जिले में मुख्यतः धान का उत्पादन किया जाता है। जनजातीय लोग विभिन्न वनोत्पादों जैसे फलों, विभिन्न पौधों की जड़ों, लाख, शहद, तेंदूपत्ता, चार, आँवला, ईमली, साल बीज का संग्रहण करते हैं एवं इस पर आजीविका के लिए आश्रित हैं। इन उत्पादों को वे विभिन्न शासकीय, गैर शासकीय संगठनों एवं खुले बाजार में बेचते हैं।

जिला पंचायत द्वारा विशेषतः वर्ष 2013-14 से समुदाय आधारित संगठनों और स्व-सहायता समूहों की गतिशीलता के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के कार्य को मजबूती प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इस प्रकार की पहल का उद्देश्य :-

(क) पंचायती राज सस्थाओं की कार्य क्षमता को मजबूत करना और,

(ख) पंचायती राज संस्थाओं, विशेषकर ग्राम पंचायतों के स्व-राजस्व को विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और वित्त में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए मजबूत करना रहा है।

जिले के सभी गाँवों की ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित कर इस प्रक्रिया को आरंभ किया गया। इसका लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं के कर राजस्व के महत्व के बारे में आम लोगों को जागरूक करना था। कुछ प्रकरणों में, करों के संग्रहण के लिए विशेष पहल की गई जैसे- (1) ग्राम सभाओं में इस समस्या के बारे में चर्चा करना और (2) कर संग्रहण हेतु समुदाय आधारित संगठनों और स्व-सहायता समूहों के साथ सहभागिता करना।

कुछ प्रकरणों में, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्व-राजस्व को बढ़ाने हेतु सार्वजनिक भूमि का उपयोग किया गया। बाजार परिसरों का विकास किया गया और इन्हें व्यापार के प्रयोजन हेतु निजी व्यक्तियों और स्व-सहायता समूहों जैसे उद्यमियों की विभिन्न श्रेणियों को पट्टे पर दिया गया। मनरेगा द्वारा प्राप्त कोष का उपयोग करते हुए मत्स्य तालाबों को विकसित किया गया, जिससे ग्राम पंचायतों को स्व-राजस्व को बढ़ाने में सहायता मिली। ऐसी पहल से पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व बढ़ाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

8.14 रायगढ़ जिले में राजस्व वृद्धि हेतु "कर उत्सव"

जिला पंचायत रायगढ़ द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व में वृद्धि हेतु जिले की 9 जनपद पंचायतों की सभी ग्राम पंचायतों में 'कर उत्सव' नाम से एक नई पहल की गई। "कर उत्सव" के अंतर्गत, कर राजस्व बकाया के संग्रहण हेतु शनिवार और मंगलवार को त्योहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रचार-पर्चे और ध्वनि-विस्तारक यंत्र के माध्यम से गहन प्रचार कर पंचायती राज संस्थाओं में कर संग्रहण के लिए एक सकारात्मक

वातावरण बनाया गया, इसका परिणाम निम्नानुसार रहा :-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	संग्रहित राशि (करोड़ रूपये में)
1	2016-17	1.887
2	2017-18	2.410

ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली

8.15 बड़ेमारेंगा ग्राम पंचायत- सुरक्षित पेयजल प्रदाय, स्वयं के राजस्व में वृद्धि एवं स्वच्छ भारत अभियान

बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर से 20 कि.मी. दूर स्थित बड़ेमारेंगा ग्राम पंचायत है, जिसके अंतर्गत 3 गांव हैं। इसमें 772 परिवार आदिवासी समुदाय जैसे मुरिया, गोंड और सेथिया निवास करते हैं। यह ग्राम पंचायत तोकापाल जनपद पंचायत का एक भाग है।

ग्राम पंचायत द्वारा अनेक विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है, जिनमें से नल-जल योजना के अंतर्गत पेय जल सुविधा का प्रदाय प्रमुख है। ग्राम पंचायत द्वारा सभी 772 घरों में 57 हैण्डपम्प एवं स्वयं के मोटर पम्प की स्थापना द्वारा घर-घर में आपूर्ति एवं सार्वजनिक स्थल पर पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का भी निर्माण विभिन्न गाँवों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किया गया। ग्राम पंचायत को खुले में शौचमुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है।

ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के स्व-राजस्व में वृद्धि हेतु अनेक पहल की गई है। निम्नलिखित करों की वसूली ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है- मकान कर, जल कर, विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शुल्क, यथा- जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि, बाजार परिसर से शुल्क, कांजी हाऊस की वार्षिक नीलामी, मत्स्य पालन हेतु तालाबों की नीलामी आदि।

8.16 बेलरगाँव ग्राम पंचायत - स्व-शासन को प्रोत्साहन

धमतरी जिला पंचायत की नगरी जनपद पंचायत में बेलरगाँव ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2009 से स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने हेतु उत्तरदायित्व और पारदर्शिता पर अधिक ध्यान देना आरंभ किया गया।

समुदाय आधारित संगठनों के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा एवं अनेक आम सभाओं द्वारा लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा नियोजित और कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों/योजनाओं के संबंध में विभिन्न निर्णय लिए गए।

विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 06 कर्मचारियों को नियोजित किया गया, जो मवेशियों (आवारा मवेशी) की देखभाल, नल-जल योजना, कर संग्रहण आदि की निगरानी और क्रियान्वयन करते हैं।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को मकान निर्माण में सहायता, दिव्यांग बच्चों को शैक्षणिक सहायता, स्कूलों में पात्र बच्चों का शत-प्रतिशत दाखिला, जल निकासी की स्थिति में सुधार, व्यवस्थित साप्ताहिक हाट/बाजार का प्रबंधन, गाँव में सुसज्जित एवं कार्यरत प्राथमिक (शासकीय) स्वास्थ्य केन्द्र की निगरानी आदि कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत स्वयं के संसाधनों को बढ़ाकर वित्तीय रूप से आत्म निर्भर बन गई है, परिणाम स्वरूप वह अपने विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाहरी कोष पर निर्भर नहीं है। सकारात्मक नेतृत्व, सामुदायिक स्वामित्व और वित्तीय स्वतंत्रता जैसे तत्वों के कारण ऐसा संभव हो पाया है।

आयोग के सुझाव

प्रभावी दस्तावेजीकरण

8.17 राज्य शासन को पंचायती राज संस्थाओं की नवाचारी कार्यप्रणालियों के प्रभावी दस्तावेजीकरण पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसे अन्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपनाया जा सके। इस प्रयोजन हेतु ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों का उपयोग किया जा सकता है।

निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना

8.18 राज्य शासन को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की संभावना पर विचार करना चाहिए। यह प्रकोष्ठ पंचायती राज संस्थाओं की जानकारी, निगरानी तथा उनके नवाचारी कार्यों में सक्रिय सहयोग प्रदान करेगा। प्रकोष्ठ में सभी मूलभूत कार्यक्षेत्रों जैसे प्रशिक्षण, वित्त आदि के पंचायती राज संस्थाओं के विशेषज्ञ होंगे। प्रकोष्ठ पंचायती राज संस्थाओं की विद्यमान और नई पहल की सतत् निगरानी करेगा साथ ही नवाचारी कार्य निष्पादित करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆